



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट – ए संख्या – 989 वर्ष 2026

सौरव कुमार याचिकाकर्ता
बनाम
भारत संघ एवं 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सुश्री पूजा अग्रवाल को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि याचिकाकर्ता एक सिपाही है और मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए, याचिकाकर्ता को सशस्त्र बल अधिकरण के समक्ष जाना चाहिए।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उक्त विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, यह रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले सशस्त्र बल अधिकरण के समक्ष विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।

जनवरी 28, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"